प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1905 परिशिष्ट ' तैंतीस ' परिशिष्ट "ज" [7/12/2016] (1)

प्रश्न सं. [क्र. 1905]

OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, CID

NEW POLICE HEADQUARTERS,

JEHANGIRABAD,

BHOPAL.

No/ADG/CID/PA/D-361/16

TO

Dt - 01/11/2016

THE DIRECTOR GENERAL,

NATIONAL INVESTIGATING AGENCY,

NEW DELHI.

Dear sir,

On 31st, October, 2016, night, between 2 am and 3 am, eight members of the banned SIMI organisation lodged in Bhopal central jail, escaped after killing a head jail guard Ramashankar Yadav. On this incident a case crime number 270/2016 u/s 342,307,302,120B,224,353,34 IPC r/w sec 3,10,13,16,18 and 20 UAPA Act, 1967 was registered at P.S. Gandhinagar , District Bhopal, MP.

Under section 6(2) NIA Act, 2008 an intimation with a copy of FIR is being sent for information.

1/11/16

(Anil Kumar)

Additional Director General of Police (CID),

Bhopal , MP

Copy to:

1) Additional Chief Secretary (Home), Bhopal for info

2) Joint Secretary (IS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi for info

2

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/अमनि/अअवि/निस/ D-361-A /2016 दिनांक 02/11/2016

प्रति,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय जॉँच एजेन्सी
6वीं एवं 7वीं मंजिल, एन.डी.सी.सी. बिल्डिंग,
जय सिंह रोड, न्यू दिल्ली- 110001

विषयः- थाना गुनगा, जिला भोपाल के अप0क्र0 355/16 में विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 इजाफा करने के संबंध में सूचना।

सन्दर्भः- पत्र क्रमांक-अमनि/अअवि/पीए/डी-361/16 दिनांक 01/11/2016

कृपया विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। थाना गुनगा, जिला भोपाल के अप0क्र0 355/16 धारा- 307,147,148,149, 332 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट की विवेचना सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि भोपाल केन्द्रीय जेल की विशेष सुरक्षा सेल में निरूद्ध प्रतिबंधित संगठन "सिमी" तथा इंडियन मुजाहिद्दीन के 08 आतंकवादियों शेख मुजीब, अकील खिलजी, जाकिर हुसैन, खालिद, माजिद, महबूब, अमजद एवं मोहम्मद शलीक के द्वारा केन्द्रीय जेल भोपाल के मुख्य प्रहरी रमाशंकर यादव की हत्या कर जेल से फरार हो गये थे। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना गांधी नगर जिला भोपाल में अप0क्र0 270/16 धारा 342,307,302,120बी,224,34,353 भादवि तथा धारा 3,10,13,16 एवं 18 विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 पंजीबद्ध किया गया था। जेल से फरार होने के बाद पुलिस द्वारा नाकाबंदी एवं सर्चिंग के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिलने पर थाना गुनगा क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की घेराबंदी की गई। संदिग्धों को पकड़ने के क्रम में उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके फलस्वरूप हुई मुठभेड की घटना में संदिग्धों की मृत्यु हुई जिनकी शिनाख्त जेल कर्मियों द्वारा की जाने पर उक्त मृत 08 संदिग्ध अप0क्र0 270/16 के फरार अभियुक्त के रूप में पहचान किये गये।

फरार/मृत संदिग्ध प्रतिबंधित संगठन सिमी तथा इंडियन मुजाहिद्दीन के सक्रिय सदस्य थे, तथा पुलिस पार्टी से मुठभेड किये थे। प्रथम दृष्ट्या आरोपीगणों का कृत्य विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3, 10 एवं 13 का दण्डनीय होने से थाना गुनगा, जिला भोपाल के अप0क्र0 355/16 में भी उपरोक्त धाराऐं बढ़ाई गई है।

उक्त जानकारी एन.आई.ए. एक्ट की धारा 6(2) के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः- प्र0सू0प0 अप0क्र0 355/16 की छायाप्रति।

2/11/16

(अनिल कुमार)
अति0पुलिस महानिदेशक
अ0अ0वि0,पु0मु0,भोपाल

प्रतिलिपिः-

1- संयुक्त सचिव, गृह (आई.एस.-1),गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, वल्लभ भवन, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2/11/16

अति0पुलिस महानिदेशक
अ0अ0वि0,पु0मु0,भोपाल